

चुनाव प्रचार

प्रदेश में आगामी एक जून को होने वाले लोकसभा चुनाव व छह विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए अब 23 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत बिलासपुर जिला के लुहूनू मैदान में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण व सनातन विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के माध्यम से सर्वस्वर्णी व सर्व समावेशी विकास का नया अध्याय शुरू किया है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जातिवाद, क्षेत्रवाद और धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब ये पार्टी लोगों को रंग—भेद के आधार पर भी बांटने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इन साजिशों का लोग चुनाव में जवाब देंगे।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लोकतंत्र के महार्पव को लेकर लोगों में असीम उत्साह है और भाजपा व मोदी सरकार के विकास कार्यों पर लोगों का अटूट विश्वास है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में जनता से मिल रहे अपार रनेह व आर्शीवाद से तय है कि भाजपा ऐतिहासिक विजय की ओर अग्रसर है। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर जिले के लदरौर, पट्टा, रमेड़ा, खरवाड़ और ढूंगरी में भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया।

चुनाव प्रचार—कांग्रेस

दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व उप—मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना और मंडी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मण्डी में जनसभा को सम्बोधित करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में जनकल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं जबकि भाजपा ने आपदा के समय भी केवल राजनीति करने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों सहित 6 विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। इस मौके पर मंडी संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भी जनसभा को सम्बोधित किया।

नामांकन—लाहौल

लाहौल स्पिति विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा ने आज केलंग में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर केलंग में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने 52 साल बाद महिला प्रत्याशी को टिकट देकर व्यवस्था परिवर्तन के नारे को सार्थक करते हुए महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। अनुराधा राणा ने क्षेत्र के लोगों से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि वे विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद जिले के विकास के लिए भरसक प्रयास करेंगी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों का विकास कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने लोगों से लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए वोट की अपील भी की।

मनीष गर्ग

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज शिमला में मैसेज टू वोट वाली साईकलिंग जर्सी जारी की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग ने मण्डी निवासी जसप्रीत पॉल को स्टेट इलेक्शन आईकन के रूप में चुना है। मनीष गर्ग ने बताया कि जसप्रीत पॉल लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य के विभिन्न भागों के साथ—साथ लाहौल स्पिति स्थित विश्व के सबसे उच्चे 10 हजार 2 सौ 56 फुट मतदान केन्द्र टाशीगंग के लिए शिमला से साईकलिंग कर जागरूकता अभियान को गति देंगे और मतदाताओं को वोट का महत्व बताएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जसप्रीत पॉल को स्टेट इलेक्शन आईकन नियुक्त करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने और लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

निर्दलीय विधायक

प्रदेश के तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे का मामला लटक गया है। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर 30 अप्रैल को बहस पूरी होने पर फैसला सुरक्षित रखा था जिस पर आज अदालत की डबल बैंच मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एस राम चंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की अदालत ने फैसला सुनाया। दोनों जजों का मामले को लेकर अलग अलग मत है जिस पर अब मामले को तीसरे जज की राय के लिए रेफर किया गया है जिनकी राय के बाद फैसला होगा। हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया कि निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर मुख्य न्यायाधीश एम.एस राम चंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ के अलग अलग मत है ऐसी स्थिति में अब मामले को लेकर तीसरे जज की राय पर फैसला निर्भर करता है।